



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 6 अक्टूबर, 2020

आश्विन 14, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग

संख्या 349/91-2020  
लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-249

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/एक-14-2010-33(100)-2010 टी0सी-III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम-संख्या-66 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र० सं०	विभाग का नाम	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	आबकारी विभाग	1-थोक लाइसेंस (सीएल-2, एफएल-2 और एफएल-2बी) (क) नवीकरण (ख) नवीन	संयुक्त आबकारी आयुक्त (जोन) अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंस एवं औद्योगिक विकास)	21 कार्य दिवस	अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंस एवं औद्योगिक विकास) आबकारी आयुक्त	15 कार्य दिवस	आबकारी आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग	15 कार्य दिवस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2-बाण्ड लाइसेंस एवं आयातित मदिरा का थोक लाइसेंस दोनों नवीकरण एवं नवीन	अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंस एवं औद्योगिक विकास)	21 कार्य दिवस	आबकारी आयुक्त	15 कार्य दिवस	अपर मुख्य सचिव	15 कार्य दिवस
		3-देश के अन्य राज्यों से आयातित तथा अन्य राज्यों को निर्यात सम्बन्धी स्थानीय बिक्री (क) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (ख) स्पिरिट	जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त (आसवनी) अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंस एवं औद्योगिक विकास)	07 कार्य दिवस	उप आबकारी आयुक्त (प्रभार) आबकारी आयुक्त	05 कार्य दिवस	संयुक्त आबकारी आयुक्त (जोन) अपर मुख्य सचिव	05 कार्य दिवस
		4-अन्य देशों को निर्यातित भारत निर्मित विदेशी मदिरा और स्पिरिट	अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंस एवं औद्योगिक विकास)	14 कार्य दिवस	आबकारी आयुक्त	12 कार्य दिवस	अपर मुख्य सचिव	12 कार्य दिवस
		5-फुटकर लाइसेंस (लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि जमा के पश्चात्) (नवीकरण एवं नवीन)	जिला आबकारी अधिकारी	07 कार्य दिवस	उप आबकारी आयुक्त (प्रभार)	05 कार्य दिवस	संयुक्त आबकारी आयुक्त (जोन)	05 कार्य दिवस
		6-ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबल रजिस्ट्रेशन दोनों (नवीकरण एवं नवीन)	अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंस एवं औद्योगिक विकास)	14 कार्य दिवस	आबकारी आयुक्त	14 कार्य दिवस	अपर मुख्य सचिव	14 कार्य दिवस
		7-आसवनी / यवासवनी लाइसेंस (क) स्थापना हेतु लाइसेंस (ख) संचालन हेतु लाइसेंस	अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) प्राविधिक अधिकारी	60 कार्य दिवस	आबकारी आयुक्त	30 कार्य दिवस	अपर मुख्य सचिव	30 कार्य दिवस

आज्ञा से,  
जितेन्द्र कुमार,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of the clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 349/XCI-2020, dated October 6, 2020 :

No. 349/XCI-2020

*Dated Lucknow, October 6, 2020*

In exercise of the powers under section-3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following amendment in Government Notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010 T.C.-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time:-

**AMENDMENT**

In the aforesaid notification, in the Schedule after entries at serial number 66, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, column-wise be inserted, namely:-

**Schedule**

Sl. no.	Name of the Departments	Services	Designated Officer	Stipulated time limits for services	First Appeal Officer	Stipulated time limits for disposal of First Appeal Officer	Second Appellate Authority	Stipulated time limits for disposal of Second Appeal Officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Excise U.P.	1. Wholesale License (CL-2, FL-2 and FL-2B) A. Renewal B. New	Joint Excise Commissioner, Zone Additional Excise Commissioner (License and Industrial Development)	21 working days	Additional Excise Commissioner (License and Industrial Development) Excise Commissioner	15 working days	Excise Commissioner, Additional Chief Secretary	15 working days
		2. Bond License and Wholesale License of Imported Liquor Both Renewal and New	Additional Excise Commissioner (License and Industrial Development)	21 working days	Excise Commissioner	15 working days	Additional Chief Secretary	15 working days
		3. Local sale, Import from and Export to other states of the Country A. IMFI B. Spirit	District Excise Officer/ Assistant Excise Commissioner (Distillery) Additional Excise Commissioner (License and Industrial Development)	07 working days	Deputy Excise Commissioner Charge Excise Commissioner	05 working days	Joint Excise Commissioner, Zone Additional Chief Secretary	05 working days

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Export to other Countries Both IMFL and Spirit	Additional Excise Commissioner (License and Industrial Development)	14 working days	Excise Commissioner	12 working days	Additional Chief Secretary	12 working days
		5. Retail Licenses (After depoiton of License Fee and Security Money) Both Renewal and New	District Excise Officer	07 working days	Deputy Excise Commissioner Charge	05 working days	Joint Excise Commissioner, Zone	05 working days
		6. Brand Registration and Label Registration Both Renewal and New	Additional Excise Commissioner (License and Industrial Development)	14 working days	Excise Commissioner	14 working days	Additional Chief Secretary	14 working days
		7. Distillery/ Brewery License A. License to Establish B. License to Operate	Additional Excise Commissioner (Administra-tion) Technical Officer	60 working days	Excise Commissioner	30 working days	Additional Chief Secretary	30 working days

By order,  
JITENDRA KUMAR,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-296 राजपत्र-2020-(735)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-3 लोक सेवा प्रबन्धन-2020-(736)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।